



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1457]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2007/अग्रहायण 6, 1929

No. 1457]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2007/AGRAHAYANA 6, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2007

आयकर

का.आ. 1989(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 झष की उप-धारा (6) के खंड (क) और उप-धारा (3) के उप-खंड (iv) के साथ पठित 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2007 है।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम, 18घष के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“18. घट्ट धारा 80झष के अधीन कटौती के लिए कंवेशन केंद्रों के लिए विहित क्षेत्र, न्यूनतम कुर्सी क्षेत्र की क्षमता, प्रसुविधाएं और सुख-सुविधाएं; कंवेशन केंद्रों में कंवेशन हालों की न्यूनतम संख्या; और संपरीक्षा रिपोर्ट की विशिष्टियां.— (1) धारा 80झष की उप-धारा (6) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए कंवेशन केंद्रों में निम्नलिखित क्षेत्र, प्रसुविधाएं और सुख-सुविधाएं होंगी,—

(क) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित कंवेशन क्षेत्र में स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यूनतम कुर्सी क्षेत्र, स्तंभ (3) में उल्लिखित न्यूनतम स्थान क्षमता और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करने के प्रयोजन के लिए न्यूनतम कंवेशन भवनों की संख्या निम्नानुसार होगी :-

विनिर्दिष्ट क्षेत्र	कुर्सी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग मी. में)	न्यूनतम स्थान क्षमता	कंवेशन भवनों की न्यूनतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली, फरीदाबाद, गुडगांव, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद	25000	3000	10

- (ख) कंवेंशन केन्द्र में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मेलन भवन, सेमीनार भवन, या आडीटोरियम के नाम से ज्ञात या किसी अन्य नाम से कंवेंशन भवन होंगे ।
- (ग) कंवेंशन केन्द्र का प्रत्येक कंवेंशन भवन आधुनिक लोक संबोधन प्रणाली, स्लाइड और पावर प्वाइंट प्रक्षेपण प्रणाली और एलसीडी प्रक्षेपक या वीडियो पट्टेक्षण सुविधा से सज्जित होगा ।
- (घ) कंवेंशन केन्द्र में इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित प्रचालकों के साथ कंप्यूटर और प्रिंटर्स सहित दस्तावेजी केन्द्र, एसटीडी/आईएसडी सुविधाओं सहित टेलीफोन, ई-मेल, फोटोकॉपी और स्कैनिंग सुविधा भी होगी ।
- (ङ) कंवेंशन केन्द्र पूर्ण रूप से केन्द्रीय रूप से वातानुकूलित होंगे ।
- (च) कंवेंशन केन्द्र में स्थानीय भवन विनियमों के अनुसार पर्याप्त पार्किंग सुविधा और अन्य सुविधाएं होंगी और अग्निशमन तथा सुरक्षा की बाबत सभी स्थानीय भवन विनियमों का भी अनुपालन किया जाएगा ।
- (2) उप-नियम (1) में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त, कंवेंशन केन्द्रों में निम्नलिखित हो सकेगा :—
- (क) बाह्य सम्मेलन या सेमीनार से संबद्ध क्रियाकलापों के लिए एमफी थियेटर और भू-दृश्य खुले स्थान;
- (ख) केवल कंवेंशन केन्द्र में कार्यक्रमों की सहायता के लिए कोई रसोई, भोजन सुविधा, कैफेटेरिया या रेस्त्रा ।
- (3) धारा 80अघ की उप-धारा (3) के खंड (iv) के प्रयोजनों के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप संख्यांक 10 गगखखक में होगी।"
3. परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 10 गगखख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा :—

“प्ररूप संख्यांक 10 गगखखक

(नियम 18घड देखिए)

1. निर्धारित का नाम :
2. स्थायी लेखा सं. :
3. प्राप्ति :
4. कंवेंशन केन्द्र या होटल के स्वामित्व में शेर :
(क) संपूर्ण स्वामित्व है या भागतः स्वामित्व है (जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
(ख) यदि भागतः स्वामित्व है, तो कृपया स्वामित्व की प्रतिशतता विनिर्दिष्ट करें :
5. कंवेंशन केन्द्र या होटल का नाम और पता :
6. कंवेंशन केन्द्र या होटल द्वारा प्रचालन के प्रारंभ की तारीख :
7. प्रारंभिक निर्धारण वर्ष :
8. नगर योजना या नगर निगम विनियमों के अधीन नगर योजना प्राधिकारी या नगर निगम से अनुमोदन :
(क) प्राप्त की है या नहीं की है
(ख) यदि प्राप्त की है तो ऐसे अनुमोदन की प्रति संलग्न करें और निम्नलिखित ब्यौरे भी भरें :

अनुमोदन	जारी करने वाला प्राधिकारी	अनुमोदन/पूर्ण होने/अधिभोग की तारीख और सं.
---------	---------------------------	---

1. कंवेंशन केन्द्र या होटल के सन्निर्माण के लिए अनुज्ञा

2. पूर्ण होने का या अधिभोग प्रमाण पत्र

9. कंवेंशन केन्द्र के तकनीकी ब्यौरे (होटल के मामले में लागू नहीं) :

(क) कुर्सी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र (वर्ग मीटर में)

(ख) कंवेंशनों भवनों की संख्या

(ग) कंवेंशन केन्द्र की स्थान क्षमता

(घ) कंवेंशन केन्द्र के तकनीकी विनिर्देश :

(i) सभी सम्मेलन कक्षों में आधुनिक लोक संबोधन प्रणाली है : हां/नहीं

(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)

- (ii) सभी सम्मेलन कक्षों में स्लाइड और पावर प्वाइंट और प्रक्षेपण प्रणाली है : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
- (iii) सभी सम्मेलन कक्षों में एलसीडी प्रक्षेपक/वीडियो पट्टेक्षण सुविधा है : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
- (iv) क्या कन्वेंशन केन्द्र में दस्तावेजी केन्द्र है : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
- (v) दस्तावेजी केन्द्र में मुद्रण, फैंक्स करने, फोटोप्रति करने, स्कैन करने, इंटरनेट सर्फिंग सुविधाओं के लिए उपयोगिताओं की सहायता के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों सहित सुविधाएं हैं : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
- (vi) कन्वेंशन केन्द्र, केन्द्रीय रूप से वातानुकूलित है : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
- (vii) कन्वेंशन केन्द्र में स्थानीय भवन विनियमों के अनुसार पर्याप्त पार्किंग सुविधा और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं हैं : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
- (viii) कन्वेंशन केन्द्र अग्निशमन और सुरक्षा की बाबत स्थानीय भवन विनियमों का पालन करता है : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
- (ix) (क) कन्वेंशन सेन्टर में कोई एम्फीथिएटर है : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
(ख) कन्वेंशन केन्द्र में भूदृश्य खुले स्थान हैं : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
(ग) यदि (क) या (ख) या दोनों का उत्तर हां है तो कृपया वह प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है :
- (x) (क) कन्वेंशन केन्द्र में रसोई सुविधा या रेस्तरां है : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
(ख) यदि हां तो उसका प्रयोग कन्वेंशन केन्द्र में कार्यक्रमों की सहायता के लिए किया जाता है : हां/नहीं
(जो लागू हो उस पर गोला लगाएं)
10. कटौती की संगणना से संबंधित ब्यौरे :
- (क) आयोजित सम्मेलनों या सेमीनारों की संख्या (होटल की दशा में लागू नहीं होता) :
- (ख) कन्वेंशन केन्द्र या होटल से प्राप्तियां (रकम रुपयों में) :
- (ग) अन्य प्राप्तियां (रकम रुपयों में) :
- (घ) कन्वेंशन केन्द्र के प्रचालन के लिए होटल के कारबार या भवन के कारबार से उत्पन्न लाभ (रकम रुपयों में) :
- (ङ) धारा 80इघ के अधीन कटौती (रकम रुपयों में) :

घोषणा

मैंने/हमने.....नामक उपर्युक्त कन्वेंशन केन्द्र होटल का और जो निर्धारित मैं.....(स्थायी लेखा सं.....) का है, के.....तुलन पत्र की और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त कन्वेंशन केन्द्र/होटल के लाभ और हानि लेखा की जांच कर ली है जो.....स्थित मुख्य कार्यालय और.....स्थित शाखाओं पर रखी गई लेखा बहीनों के अनुरूप है।

मैंने/हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए मेरी/हमारी राय में आवश्यक थे। पूर्वोक्त कन्वेंशन/होटल केन्द्र के कार्यालय और उसकी शाखाओं में जहां मैं/हम गया/गए थे,

जहाँ तक बहियों की मेरी/हमारी जाँच से प्रतीत होता है, समुचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं और अन्य शाखाओं से जहाँ मैं/हम नहीं गया था/गए थे नीचे दी गई टीका-टिप्पणी के अधीन रहते हुए, संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त समुचित विवरणियाँ प्राप्त हो गई हैं।

मेरी/हमारी राय में कंवेशन केन्द्र धारा 80झघ में अनुबद्ध शर्तों को पूरा करता है और इस धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है।

मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखा-

- (i) तुलन पत्र के मामले में को ऊपर नामित कंवेशन केन्द्र/होटल के कार्यों की स्थिति का, और
- (ii) लाभ और हानि लेखा के मामले में को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए कंवेशन केन्द्र/होटल के लाभ या हानि का, सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षरित

लेखाकार”

[अधिसूचना सं. 281/2007/फा.सं. 142/22/2007-टीपीएल]

शोभन कर, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना सं. का.आ. 969 तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रभावित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2007 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ.1896(अ) तारीख 7 नवम्बर, 2007 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की नई धारा 80झग अंतःस्थापित की गई है जिससे किसी उपक्रम द्वारा कंवेशन केन्द्र का स्वामी होने और उसके प्रचालन के कारबार या किसी होटल के प्रचालन के कारबार के किसी भवन के कारबार से उत्पन्न लाभों और अधिलाभों की शत-प्रतिशत कटौती उसमें विहित शर्तों के रहते हुए की जा सके।

उक्त अधिनियम की धारा 80झग की उप-धारा (3) का खंड (iv) यह अधिकथित करता है कि निर्धारित विहित प्ररूप में और किसी लेखापाल द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती सही रूप से दावा की गई है, एक संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 80झग की उप-धारा (6) का खंड (क) 'कंवेशन केन्द्र को विहित क्षेत्र के भवन के रूप में परिभाषित करता है जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएँ हैं जो विहित की जाएँ। तदनुसार इस प्रयोजन के लिए आय-कर नियमों में एक नया नियम 18घड और एक नया प्ररूप 10 गगखखक अंतःस्थापित किया गया है।

नया नियम 18घड और नया प्ररूप 10गगखखक 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार वे निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।